129

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R 5256-II/15 Rs. 40/-

श्री रामचन्द्र सिंह तनय मोतीलाल सिंह निवासी ग्राम तिवनी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)

---------आवेदक

बनाम्

1. केशकली उर्फ मल्ली पति भैयालाल सिंह निवासी ग्राम तिवनी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन

--------अनावेदकगण

श्री अभिलाषा चतुर्वेदी एड द्वारा आज दिनांक 23-12-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी आवेदन पत्र बिरुद्ध राजस्व निरीक्षक बृत्त तहसीलदार रामपुर बघेलान प्रकरण क्रमांक - 0112/14-15 आदेश दिनांक 24/11/2014

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि आवेदक सरहद्दी कृषक है तथा सरहद्दी आराजी नम्बर - 218 जो सीमांकित भूमि नं0- 218/2 का मूल

23/12/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5256–दो/2015 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर वाघेलान तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 13अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्र–1 ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 218/2 स्थित ग्राम तिवनी के सीमांकन का आवेदन दिया , जिस पर से राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी ने प्र0क्र0 13अ–12/2014–15 पॅजीबद्ध करके सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराई है। पटवारी हलका तिवनी एंव पटवारी चोरमारी के साथ राजस्व निरीक्षक ने मौके पर दिनांक 30–10–14 को ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन कार्य किया है तथा मौके पर उपस्थित पंचगणों के समक्ष पंचनामा तैयार किया है। सीमांकन पर आपत्ति न आने से आदेश दिनांक 24–11–14 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक	

क–1 मिलकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। आपत्ति आमंत्रित करने हेतु समय भी नहीं दिया है । त्रृटिपूर्ण सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परिलिक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 218/2 स्थित ग्राम तिवनी की अनावेदक कमांक–1 रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त रामपुर वाघेलान तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 13अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–11–14 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य